न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2840 सन् 2026**,
आरिफ उर्फ तोतला पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला चौधरीवाडा, कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।
मुकदमा अपराध संख्याः–286 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः–109(1) व 351(2), बी.एन.एस.
थानाः–सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

1. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रकरण उपरोक्त में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः अभिवाक् किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, झूंठा फसाया गया है। आवेदक को वादी मुकदमा ने शहर की पार्टीबन्दी के कारण पुलिस से साज करके झूंठा फसाया है। आवेदक से कोई बरामदगी नहीं है। उक्त मामला धारा 109(1) बी.एन.एस. की हद को नहीं पहुंचता है। आवेदक द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचायी है। आवेदक के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। ओवदक पर मु0अ0सं0 566/2017 धारा– 386, 506 भा.दं.सं. थाना सिकन्द्राबाद, मु0अ0सं0 816/2017 धारा– 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद, मु0अ0सं0 771/2019 धारा– 147, 148,149, 323, 307, 504, 427 भा.दं.सं. थाना सिकन्द्राबाद, व मु0अ0सं0 773/2019 धारा– 147, 148,149, 307, 186, 336 भा.दं.सं. थाना सिकन्द्राबाद हैं, जिनमें वह जमानत पर है। आवेदक दिनांक 28.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अब्दुला पुत्र मौहम्मद गुलजार निवासी चौधरीवाडा, सिकन्द्राबाद ने थाना सिकन्द्राबाद पर सूचना दी कि वादी चौधरीवाडा, के बाजार में चिकन की दुकान चलाता हूॅ। आरिफ उर्फ तोतला पुत्र शरीर निवासी चौधरीवाडा का है, आरिफ उर्फ तोतला ने आज दिनांक 28.03.2026 को समय 10 बजे रात को मेरे छोटे भाई कैफ पुत्र गुलजार पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर अपने दो साथ साद पुत्र आरिफ व शोएब निवासी सलेमपुर रोड के साथ भाग गऐ। उक्त लोगों ने मेरे भाई कैफ पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अग्रतेर कथन में जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई केफ पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित है।

चोटहिल कैप की चिकित्सीय आख्यानुसार उसके शरीर पर दो चोटें कटे हुए घाव की क्रमशः कमर पर निचले हिस्से पर बीच में व बॉय कन्धे पर आना तथा दोनों चोटों को निरीक्षणाधीन रखते हुए एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया जाना दर्शित है। चोटहिल की पूरक की चिकित्सीय आख्या में उक्त दोनों चोटों को साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 17:33:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनॉक 28.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यद्यपि अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल की जायेगी।
3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015